राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3540/2018

लक्ष्मण सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
3. आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.09.2018
आदेश की दिनांक : 12.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 22.05.1993 को कांस्टेबल के पद पर हुई थी। तत्पश्चात अपीलार्थी को दिनांक 23.09.2005 को वर्ष 2004–05 की रिक्ति के विरूद्ध हेड कांस्टेबल (आरमोरर) के पद पर पदोन्नत किया गया। राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–2) के आदेश दिनांक 04.10.2013 (अनुलग्नक–1) द्वारा जिला आधार पर आरमोरर कैडर की मंजूरी दर्शाई गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा समय–समय पर आरमोरर की वरिष्ठता सूची जारी की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.04.2012 (अनुलग्नक–2) द्वारा वर्ष 2012 में वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 32 पर अंकित है। निजी प्रत्यर्थी का नाम वरिष्ठता सूची में नहीं था क्योंकि वह अपीलार्थी से कनिष्ठ था और उसे दिनांक 12.02.2014 को हेड कांस्टेबल (आरमोरर) के पद पर पदोन्नति मिली थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2016 (अनुलग्नक–3) द्वारा जारी वरिष्ठता सूची की प्रति से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 26 पर अंकित है और उसे वर्ष 2004–05 की रिक्ति के विरूद्ध दिनांक 23.09.2005 को हेड कांस्टेबल (आरमोरर) के पद पर पदोन्नत मिली थी और निजी प्रत्यर्थी को दिनांक 12.02.2014 को हेड कांस्टेबल (आरमोरर) के पद पर पदोन्नत किया गया था और एसआई के कैडर में अपीलार्थी से बहुत अधिक कनिष्ठ है। अपीलार्थी वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरूद्ध उप निरीक्षक (आरमोरर) के पद पर पदोन्नति पाने के लिए वरिष्ठता स्थिति के अनुसार पात्र एवं उपयुक्त उम्मीदवार है और उसकी यह सदभाविक धारणा थी कि प्रत्यर्थी विभाग पिछले वर्ष के वरिष्ठता क्रम के अनुसार वरिष्ठता बनाए रखेगा। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग

ने दिनांक 02.06.2017 को वरिष्ठता सूची प्रकाशित की, जिसमें निजी प्रत्यर्थी जो अपीलार्थी से कनिष्ठ था, उसे क्रम संख्या 18 पर वरिष्ठता दी गई और अपीलार्थी ने इस पहलू को नजर अंदाज करते हुए वरिष्ठता संख्या 23 तय की है कि अपीलार्थी को वर्ष 2005 में हेड कांस्टेबल (आरमोरर) के कैडर में पदोन्नति प्राप्त कर ली थी, जबकि निजी प्रत्यर्थी को वर्ष 2014 में पदोन्नति दी गई थी (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी ने अंतरिम वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के तुरंत बाद प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 29.06.2017 (अनुलग्नक–5) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर वरिष्ठता स्थिति में आवश्यक सुधार/संशोधन करने का अनुरोध किया गया, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बाद यह धारणा बनाई थी कि प्रत्यर्थी विभाग उसकी उचित शिकायतों पर विचार करेंगे और अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद वरिष्ठता सूची में आवश्यक सुधार करेंगे क्योंकि वह उन व्यक्तियों से वरिष्ठ है, जिनके नाम क्रम संख्या 15, 16, 17 एवं 18 पर रखे गये थे। प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरूद्ध अधिसूचना दिनांक 19.07.2018 (अनुलग्नक–6) द्वारा उप निरीक्षक (आरमोरर) के पद के लिए एक विज्ञापन जारी किया। अधिसूचना दिनांक 19.07.2018 के अनुसरण में एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी योग्य पाया गया, उसके बाद उसे आउटडोर गतिविधियों और साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। अपीलार्थी परीक्षा के सभी चरणों में सफल पाया गया और उसके समेकित अंक 50 प्रतिशत से ज्यादा होने के कारण उसे रिक्ति वर्ष के विरूद्ध उप निरीक्षक (आरमोरर) के पद पर विचार किये जाने को लेकर अश्वस्त था। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 07.08.2018 (अनुलग्नक–7) द्वारा अपीलार्थी की वरिष्ठता को नजर अंदाज करते हुए निजी प्रत्यर्थी सहित अन्य व्यक्तियों को पीसीसी के लिए विचार किया गया, जो निजी प्रत्यर्थी से अपीलार्थी काफी वरिष्ठ है एवं अपीलार्थी के सही हक पर विचार नहीं किया। निजी प्रत्यर्थी को वरिष्ठता सूची में काफी ऊपर स्थान देकर उन्हें वरिष्ठ मानकर उप निरीक्षक (आरमोरर) पद पर पदोन्नति दे दी है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। अपीलार्थी को वर्ष 2005 में हेड कांस्टेबल (आरमोरर) के कैडर में पदोन्नति प्राप्त कर ली थी, जबकि निजी प्रत्यर्थी को वर्ष 2014 में पदोन्नति दी गई थी।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को अधिसूचना दिनांक 19.07.2018 के अनुसरण में सभी पारिणामिक लाभों के साथ उप निरीक्षक (आरमोरर) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे। पत्र दिनांक 07.08.2018 द्वारा चयनित उम्मीदवारों को पीसीसी के लिए भेजने के आदेश को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्ष 2017 की वरिष्ठता सची में आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी कानि. (आरमोरर) से हैड कानि. (आरमोरर) पद पर वर्ष 2004–05 की रिक्तियों के विरूद्ध जिला जयपुर से पदोन्नत हुये है। पुलिस मुख्यालय राज० जयपुर से जारी हैड कानि० (आरमोरर) पद की दिनांक 01.04.2012 की अस्थायी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्र.सं. 32 पर अंकित है। अपीलार्थी को अस्थायी वरिष्ठता सूची में इनके पदौन्नति वर्ष 2004–05 में मैरिट के अनुसार संधारित किया गया है, जो सही स्थान पर पदस्थापित है। पुलिस मुख्यालय राज० जयपुर के पत्र दिनांक 14.07.2019 के द्वारा हैड कानि० (आरमोरर) पद की दिनांक 01.04.2016 की स्थायी वरिष्ठता सूची जारी गई थी। जारी स्थायी वरिष्ठता सूची के क्र.सं. 26 पर अपीलार्थी को पदोन्नति वर्ष 2004–05 में के आधार पर वरिष्ठता में संधारित किया गया है एवं उक्त वरिष्ठता सूची के क्र.सं. 19,20,21 पर अंकित हैड कानि० (आरमोरर) गण को उनके पदौन्नति वर्ष 2001–02 में चयनित होने के कारण उन्हे वरिष्ठ दर्शाया गया है। अपीलार्थी की कानि. आरमोरर से हैड कानि. आरर्मोर के पद पर पदोन्नति वर्ष 2004–05 में आदेश दिनांक 22.09.2005 के द्वारा हुई है एवं इन्होंने हैड कानि० आरमोरर पद की पीसीसी दिनांक 15.06.2005 से 30.08.2005 तक की अवधि में की है व इनकी हैड कानि० (आरमोरर) से उप निरीक्षक आरमोरर के पद पर पदोन्नति वर्ष 2017–18 में आदेश दिनांक 23.12.2020 के द्वारा हुई है व इनके द्वारा उप निरीक्षक आरमोरर की पीसीसी दिनांक 13.07.2020 से 16.09.2020 तक पूर्ण की थी। किन्तु वरिष्ठता का संधारण हैड कानि० (आरमोरर) गण के रिक्त पदोन्नति चयनित वर्ष में वरिष्ठ होने के कारण इन्हे अपीलार्थी से वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ रखा गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के संबंध में प्रार्थी को पत्र दिनांक 31.07.2018 एवं 19.11.2018 द्वारा सूचित किया गया है। पुलिस मुख्यालय राज. जयपुर के पत्र क्रमांक 4622–60 दिनांक 14.07.2019 के द्वारा हैड कानि. (आरमोरर) पद की दिनांक 01.04.2016 की स्थायी वरिष्ठता सूची के क्र.स. 26 पर प्रार्थी वर्ष 2004–05 में पदोन्नति चयनित वर्ष पर वरिष्ठता में संधारित है एवं क्र.स. 19,20,21 पर अंकित हैड कानि. (आरमोरर) गण वर्ष 2001–02 में चयनित होकर वर्ष 2014 में पदोन्नत हुये है। श्री लक्ष्मण सिंह उप निरीक्षक आरमोरर की कानि. आरमोरर के पद पर पदोन्नति वर्ष 2004–05 में आदेश क्रमांक 5078–81 दिनांक 22.09.2005 के द्वारा हुई है एवं इन्होंने हैड कानि. आरमोरर पद की पीसीसी दिनांक 22.09.2005 से 30.08.2005 तक की अवधि में की है व इनकी हैड कानि. (आरमोरर) से उप निरीक्षक आरमोरर के पद पर पदोन्नति वर्ष 2017–18 में आदेश क्रमांक 918 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा हुई है व इनके द्वारा उप निरीक्षक आरमोरर की पीसीसी दिनांक 13.07.2020 से 16.09.2020 तक पूर्ण की थी। किंतु वरिष्ठता का संधारण हैड कानि. (आरमोरर) गण के रिक्त पदोन्नति चयनित वर्ष में वरिष्ठ होने के कारण इन्हें प्रार्थी से वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ रखा गया है। हैड

कानि० (आरमोरर) से उप निरीक्षक (आरमोरर) पद की योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2016–17 का आयोजन हैड कानि० (आरमोरर) गण की वरिष्ठता के आधार के अनुसार योग्यात्मक परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, जो सही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों और उभय पक्ष के कथनों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की हैड कानि. (आरमोरर) के पद पर पदोन्नति वर्ष 2004–05 की रिक्तियों के विरूद्ध की गई और विभाग द्वारा समय–समय पर जारी वरिष्ठता सूची में उसका पदोन्नति वर्ष 2004–05 अंकित है। विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2017 के संदर्भ में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी अनिल कुमार से नीचे दिखाये जाने पर उसके द्वारा एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस आधार पर खारिज किया कि अपीलार्थी की हैड कानि. (आरमोरर) के पद पर पदोन्नति वर्ष 2004–05 के विरूद्ध हुई है जबकि निजी प्रत्यर्थी की वर्ष 2001–02 के विरूद्ध पदोन्नति हुई है। इस आधार पर अनिल कुमार की वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है वह सही है। पत्रावली पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अनिल कुमार के वर्ष 2001–02 रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। दिनांक 01.04.2016 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची में भी अनिल कुमार को दिनांक 12.02.2004 से पदोन्नति दिया जाना एवं पदोन्नति वर्ष 2014 बताया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह निवेदन किया गया है कि निजी प्रत्यर्थी का वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु चयन किया गया और दिनांक 12.05.2003 से 18.07.2003 तक उसके द्वारा पीसीसी पूरी की गई परंतु हैड कानि. की रिक्तियां नहीं होने के कारण उसे दिनांक 12.02.2014 को पदोन्नति प्रदान की गई। क्योंकि निजी प्रत्यर्थी का चयन वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के विरूद्ध हुआ है इसलिए वरिष्ठता सूची में उसे अपीलार्थी से वरिष्ठ रखा गया है और अपीलार्थी को 2017–18 की रिक्ति के विरूद्ध उप–निरीक्षक (आरमोरर) के पद पर पदोन्नति दे दी गई। इस आधार पर अपील खारिज की जावे।

उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि जब निजी प्रत्यर्थी वर्ष 2001–02 की रिक्ति के विरूद्ध चयन कर लिया गया था तो उसे उसी वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति दी जानी चाहिए थी जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं दी गई है। बिना रिक्ति की उपलब्धता के पदोन्नति हेतु चयन किया जाना नियमानुसार नहीं है और विभागीय गलती की वजह से अपीलार्थी को उसके जायज अधिकार से वचिंत नहीं रखा जा सकता है। अपीलार्थी दिनांक 01.04.2017 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची से पहले की वरिष्ठता सूची में निजी प्रत्यर्थी से वरिष्ठ है। दिनांक 01.04.2016 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता

सूची में निजी प्रत्यर्थी का नाम क्रम संख्या 30 पर एवं चयन वर्ष 2014 और पदोन्नति की तिथी 12.02.2014 अंकित है और अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 26 पर एवं पदोन्नति वर्ष 2004–05 है एवं वरिष्ठता में निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी से कनिष्ठ रखा गया है। दिनांक 01.04.2017 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची में निजी प्रत्यर्थी का पदोन्नति आदेश दिनांक 12.02.2014 को जारी होना प्रतिवेदित है जबकि अपीलार्थी का हैड कानि. के पद पर पदोन्नति दिनांक 23.09.2005 को जारी किया जाना स्पष्ट है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2016–17 की उप–निरीक्षक (आरमोरर) की पदोन्नति परीक्षा में भाग लिया जाकर पदोन्नति परीक्षा को उत्तीर्ण किया जाने का कथन किया है जिसका कोई प्रतिवाद प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत अपील स्वीकार जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को हैड कानि. (आरमोरर) के पद की दिनांक 01.04.2017 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची में उसको सही स्थान पर वरिष्ठता प्रदान की जावे एवं यदि अपीलार्थी वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध उपनिरीक्षक (आरमोरर) के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है तो उसे नियमानुसार पीसीसी हेतु भेजा जाकर वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति के लाभ प्रदान किये जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ स्वीकृत किए जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)